प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक : 5301/ 2007

याचिकाकर्ता: ए. के. चन्द्रवंशी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1122 / 2009

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक- 1274 / 2009

याचिकाकर्ता: अशोक कुमार आहिरे एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को सूचिबद्ध करें।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रं. 5301/2007

याचिकाकर्तागण ए. के. चंद्रवंशी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित-

श्री पी. एस. कोशी के साथ श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव अधिवक्तागण वास्ते याचिकाकर्तागण ।

श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य / उत्तरवादीगण ।

श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव एवं श्री विनय पाण्डेय, अधिवक्तागण वास्ते हस्तक्षेपकर्तागण ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1122 / 2009

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित-

श्री पी. एस. कोशी साथ में श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव अधिवक्तागण वास्ते याचिकाकर्तागण ।

श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य / उत्तरवादीगण ।

श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव एवं श्री विनय पाण्डेय, अधिवक्तागण वास्ते हस्तक्षेपकर्तागण ।

तथा

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक- 1274 / 2009

याचिकाकर्ता: अशोक कुमार आहिरे एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित-

श्री पी. एस. कोशी साथ में श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव अधिवक्तागण वास्ते याचिकाकर्तागण ।

श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य / उत्तरवादीगण ।

श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव एवं श्री विनय पाण्डेय, अधिवक्तागण वास्ते हस्तक्षेपकर्तागण ।

आदेश

(दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. उपर्युक्त तीनों रिट याचिकाओं का निराकरण इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इन याचिकाओं में विधि तथा तथ्य का समान विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है।

2. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5301/07 में, याचिकाकर्तागण जो कि कृषि विभाग में कार्यरत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, ने यह निवेदन किया है कि उत्तरवादीगण द्वारा उन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अर्थात् स्नातक की उपाधि नहीं रखते, कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही को निरस्त / खारिज किया जाए।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1122/09 एवं 1274/09 में, याचिकाकर्तागण ने यह घोषित किए जाने का निवेदन किया है कि उत्तरवादीगण द्वारा उन कृषि विकास अधिकारियों की, जो एम.एससी. (कृषि) उपाधि, जो कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, नहीं रखते, पदोन्नति के लिए विचार करने की कार्यवाही विधि विरुद्ध एवं अवैध है; तथा यह निर्देश दिए जाने का निवेदन किया है कि उत्तरवादीगण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पदों को केवल उन्हीं कृषि विकास अधिकारियों से भरें जो नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम पात्रता अर्हताओं से युक्त हैं।

3. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5301/07 में याचिकाकर्तागण का प्रकरण यह है कि वे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं तथा उनका कथन यह है कि वे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं हैं, कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि उनके अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.एससी. (कृषि) है। याचिकाकर्तागण का यह भी कथन है कि वे समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.एससी. (कृषि) प्राप्त किए बिना ही नियुक्त किए गए थे, कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

4. इसी प्रकार, अन्य दो रिट याचिकाओं में, जो कृषि विकास अधिकारीगण से संबंधित हैं, याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि वे कृषि विकास अधिकारी, जिन्हें कृषि या संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नहीं है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय नहीं हैं। याचिकाकर्तागण का आगे यह भी कथन है कि अनेक कृषि विकास अधिकारी ऐसे हैं जो न तो कृषि स्नातक हैं और न ही कृषि विषय के, बल्कि कुछ केवल मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण हैं, और कुछ मात्र सामान्य स्नातक हैं किंतु कृषि स्नातक नहीं हैं, फिर भी उन्हें नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. रिट याचिका क्रमांक 5301/07 में, ऐसे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा, जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं है, आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया है ताकि वे याचिकाकर्तागण द्वारा मांगे गये अनुतोष का विरोध कर सकें। इसी प्रकार, अन्य दो रिट याचिकाओं में भी, ऐसे कृषि विकास अधिकारियों द्वारा, जिनके पास स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि नहीं हैं, आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

6. यह विवादित नहीं है कि विभिन्न पदों का नामकरण, संबंधित सेवा नियमों के प्रवर्तन के उपरांत परिवर्तित किया गया है, अर्थात् **मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (अराजपत्रित) कार्यपालक सेवा भर्ती नियम, 1972** (जिसे आगे चलकर **"भर्ती नियम, 1972"** कहा जाएगा)।

नामकरण में किया गया परिवर्तन निम्नानुसार है —

ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (व्ही.एल.डब्लू.) -	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आर.ए.ई.ओ.)
कृषि सहायक (उच्च श्रेणी) -	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
कृषि सहायक (निम्न श्रेणी)	कृषि विकास अधिकारी

7. उपर्युक्त नामकरण में परिवर्तन दिनांक **9 अप्रैल, 1981** तथा **1 फरवरी, 1982** के पत्रों से स्पष्ट होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से **अनुलग्नक-डी/2** के रूप में, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5301/07 में अभिलेख पर लिए जाने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था। उक्त दोनों पत्र, जो याचिकाकर्तागण द्वारा इस माननीय न्यायालय के दिनांक 8.4.2010 के आदेश के अनुपालन में अभिलेख पर रखे गए हैं, किसी के द्वारा विवादित नहीं किए गए हैं।

8. संक्षेप में, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को क्रमशः आर.ए.ई.ओ., ए.डी.ओ. तथा एसआर. ए.डी.ओ. के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. तीनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि भर्ती नियम, 1972 की वैधानिक योजना के अंतर्गत आर.ए.ई.ओ., ए.डी.ओ. तथा एसआर. ए.डी.ओ. के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि चूंकि उक्त नियमों में ए.डी.ओ. तथा एसआर.ए.डी.ओ. के पद के लिये सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है, अतः जो आर.ए.ई.ओ, ए.डी.ओ. के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं करते, वे ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय नहीं हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे आर.ए.ई.ओ., जिन्हें बी.एससी. (कृषि) की आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं थी, उन्हें भी नियुक्त किया गया था। भर्ती नियम, 1972 के अनुसूची–**III** में निहित प्रावधान का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि केवल वे आर.ए.ई.ओ. ही ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय हो सकते हैं, जिन्हें बी.एससी. (कृषि) की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए यही न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक ए.डी.ओ. से एसआर.ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है, वहाँ केवल वे ही ए.डी.ओ., जिन्हें कृषि

अथवा उससे संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है, एसआरा.ए.डी.ओ. के पद के लिये विचारणीय हो सकते हैं। अतएव यह भी तर्क दिया गया कि वे आर.ए.ई.ओ तथा ए.डी.ओ. जिन्हें स्नातक उपाधि प्राप्त नहीं है, भर्ती नियमों के अनुसार विधिवत नियुक्त माने नहीं जा सकते। इसलिए वे क्रमशः अपने उच्चतर पद ए.डी.ओ. तथा एसआर.ए.डी.ओ. पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों में पारित निर्णयों पर अवलंब लिया है — **सुभाष चन्द्र धुप्ता एवं अन्य विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य**[1]**, राजस्थान लोक सेवा आयोग विरूद्ध कैला कुमार पालीवाल एवं अन्य**[2]**, वी. मार्कण्डेय एवं अन्य विरूद्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य**[3]**, डी.के. जैन एवं अन्य विरूद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य**[4] **तथा डा. राजिन्द्र सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य**[5]**।**

11. दूसरी ओर, राज्य उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तीनों याचिकाओं में यह तर्क किया है कि **आर.ए.ई.ओ.** को पदोन्नति हेतु **ए.डी.ओ.** के पद पर विचार करने की, जिसमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जो स्नातक नहीं हैं, तथा **ए.डी.ओ.** को उच्चतर पद **एसआर. ए.डी.ओ.** पर पदोन्नति हेतु विचार करने की उत्तरवादीगण की कार्यवाही, जिसमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर नहीं हैं, यह भर्ती नियम, 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि जब भर्ती नियमों का निर्माण किया गया था, उस समय कृषि विषय में अपेक्षित संख्या में स्नातक उपलब्ध नहीं थे; अतः अन्य शाखाओं के स्नातकों तथा यहाँ तक कि गैर-स्नातक / मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्तियों की भी नियमों में शिथिलता प्रदान कर भर्ती की गई थी। राज्य की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि ऐसे गैर-स्नातक / मैट्रिकुलेट / अन्य विषयों के स्नातक व्यक्तियों को क्रमशः दो वर्ष एवं छह माह की विस्तृत प्रशिक्षण अवधि दी गई थी। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची-**III** में वर्णित अर्हताएँ, नियम 8 के संदर्भ में हैं, जो केवल सीधी भर्ती से संबंधित है; तथा पदोन्नति के मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि फीडर पद पर कार्यरत अधिकारी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 2000 (1) एस.एल.आर. 696

[2] एआईआर 2007 एससी 1746

[3] (1989) 3 एसीसी 191

[4] 1995 सुप्रा (1) एससीसी 349

[5] (2001) 5 एसीसी 482

पास वही अर्हताएँ हों जो सीधी भर्ती हेतु निर्धारित की गई हैं, ताकि उसे पदोन्नति के लिए पात्र माना जा सके। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि आर.ए.ई.ओ. से ए.डी.ओ. एवं ए.डी.ओ. से एसआर. ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति के संदर्भ में भर्ती नियम, 1972 के नियम 13 एवं 14 लागू होते हैं, जिनमें यह उपबंध है कि समिति उन व्यक्तियों के प्रकरणों पर विचार करेगी जिन्होंने संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को अपने पद / सेवा में (चाहे स्थायी या प्रवर पद पर कार्य करते हुए) पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–**IV** के कॉलम 2 में उल्लिखित है अथवा शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर सेवा की हो। नियम में यह भी उपबंधित किया गया है कि यदि पाँच वर्ष की पूर्ण सेवा वाले व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा सेवा की आवश्यकता या आकस्मिकता ऐसा माँगती हो, तो शासन की पूर्वानुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष की पूर्ण सेवा तक शिथिल कर सकता है।

12. आपत्तिकर्तागण — ए.आर.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ. — की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राज्य उत्तरवादीगण के पक्ष का समर्थन किया तथा याचिकाकर्तागण द्वारा मांगे गये अनुतोष का विरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. तीनों याचिकाओं में याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समझने के उद्देश्य से, भर्ती नियम, 1972 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन के कृषि विभाग अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती को विनियमित करने हेतु **मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (अमंत्रालयिक) कार्यपालक सेवा भर्ती नियम, 1972** बनाए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 6 में यह उपबंधित किया गया है कि सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा की जाएगी। नियम 8 सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तों का निर्धारण करता है। नियम 8 के खंड (**i**) आयु संबंधी उपबंध करती है, जबकि खंड (**ii**) शैक्षणिक अर्हता के संबंध में उपबंध करती है और यह निर्देशित करती है कि चयन हेतु

प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी के पास अनुसूची–**III** में निर्दिष्ट सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है। नियम 14 पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों का उपबंध करता है। चूँकि यह प्रकरणों के निर्णय हेतु प्रासंगिक है, अतः उक्त प्रावधान को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है —

> **"14. पदोन्नति हेतु पात्रता की शर्तें –** समिति उन सभी व्यक्तियों के प्रकरणों पर विचार करेगी जिन्होंने संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को अपनी सेवा में (चाहे वे प्रवर अथवा स्थायी रूप से कार्यरत हों) पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–**IV** के स्तम्भ (2) में उल्लिखित पद / सेवा में या शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर। यदि पाँच वर्ष की पूर्ण सेवा वाले व्यक्ति उपलब्ध न हों और सेवा की आवश्यकता या आकस्मिकता ऐसा माँगती हो, तो शासन की पूर्वानुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष की पूर्ण सेवा तक शिथिल कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची–**II**, जो नियम 6 से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ, सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण द्वारा भरे जाने वाले कार्यपदों की प्रतिशत संख्या का उपबंध करती है। एसआर. ए.डी.ओ. (कृषि सहायक यूडी) के पद का 90 प्रतिशत भाग पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है, जबकि शेष 10 प्रतिशत भाग सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। इसी प्रकार, ए.डी.ओ. (कृषि सहायक एलडी) के पद का 40 प्रतिशत भाग पदोन्नति द्वारा तथा 60 प्रतिशत भाग सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना निर्धारित है।

(16) नियम 13 से संबंधित अनुसूची–**IV** पदोन्नति की श्रेणी तथा विभागीय पदोन्नति समिति के गठन का उपबंध करती है। अनुसूची–**IV** में वर्णित पदोन्नति की श्रेणी के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि एसआर. ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति ए.डी.ओ. अथवा अन्य समकक्ष पद से की जाएगी। इसी प्रकार, उक्त अनुसूची में यह भी प्रावधान है कि ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति आर.ए.ई.ओ. अथवा अन्य समकक्ष पद से की जाएगी।

(17) भर्ती नियम, 1972 के अधीन निर्धारित वैधानिक योजना के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि ए.डी.ओ. एवं एसआर. ए.डी.ओ. के पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति — दोनों माध्यमों से भरे जाने हैं। नियम 8 (**ii**) सीधी भर्ती के संदर्भ में शैक्षणिक अर्हता से संबंधित पात्रता की शर्तों का उपबंध करता है। अनुसूची–**III** विभिन्न पदों, जिनमें आर.ए.ई.ओ., ए.डी.ओ. एवं एसआर. ए.डी.ओ. सम्मिलित हैं,

के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का उपबंध करती है। अनुसूची–**III** में निर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएँ स्पष्टतः नियम 8 से संबंधित हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि वे अर्हताएँ केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता शर्तें हैं। यह बात स्वयं अनुसूची–**III** से स्पष्ट होती है, जिसमें यह उपबंधित किया गया है कि उक्त शैक्षणिक अर्हताएँ केवल ए.डी.ओ. एवं एसआर. ए.डी.ओ. के पदों की सीधी भर्ती हेतु हैं।

(18) ए.डी.ओ. एवं एसआर. ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से, नियम 13 एवं 14 तथा अनुसूची–**IV** में निहित प्रावधान लागू होते हैं, इनका संयुक्त अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ए.डी.ओ. से एसआर. ए.डी.ओ. एवं आर.ए.ई.ओ. से ए.डी.ओ. पद पर पदोन्नति के मामलों में, पात्रता की शर्त यह है कि संबंधित ए.आर.ई.ओ. अथवा ए.डी.ओ., जैसा कि स्थिति हो, ने अपने पद/सेवा में (चाहे वह कार्यवाहक अथवा स्थायी रूप से कार्यरत हो) पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, जैसा कि अनुसूची–**IV** के स्तम्भ–2 में उल्लिखित है।

(19) सीधी भर्ती, पदोन्नति, पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव से संबंधित वैधानिक प्रावधान यह अपेक्षा नहीं करती कि पदोन्नति हेतु विचारार्थ पात्र होने के लिए ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति के संबंध में आर.ए.ई.ओ. के पास अनिवार्यतः कृषि विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसी प्रकार, यह नियम भी ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं करता कि एसआर. ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए कृषि विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। नियम में केवल इतना उपबंध है कि संबंधित आर.ए.ई.ओ. अथवा ए.डी.ओ., जैसा कि प्रकरण हो, ने अधीनस्थ पद पर निर्धारित न्यूनतम सेवा-अवधि का अनुभव प्राप्त किया हो। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी। अतः यह स्पष्ट है कि सीधी भर्ती द्वारा एसआर. ए.डी.ओ. के पद के 10 प्रतिशत हिस्से के लिए कृषि या उससे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि ही न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, जो अभ्यर्थी के पास होनी आवश्यक है। इसी प्रकार, सीधी भर्ती द्वारा ए.डी.ओ. के 60 प्रतिशत पदों के लिए कृषि विषय में स्नातक उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, जो अभ्यर्थी के पास होना अपेक्षित है। एसआर. ए.डी.ओ. के 90 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए, अधीनस्थ पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार, ए.डी.ओ. के 40 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु भी अधीनस्थ पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) निस्संदेह यह सत्य है कि आर.ए.ई.ओ. के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कृषि विषय में स्नातक उपाधि है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में बड़ी संख्या में ऐसे आर.ए.ई.ओ. नियुक्त किए गए जो केवल मैट्रिक थे, तथा उन्हें सेवा में निरंतर बनाए रखा गया और वे नियमित रूप से सेवा में स्थायी भी हो गए, ऐसे अधिकारी केवल इस आधार पर कि नियुक्ति के समय अधीनस्थ पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता उनके पास नहीं थी, ए.डी.ओ. पद पर पदोन्नति हेतु विचार से अपात्र नहीं ठहराए जा सकते। इसी प्रकार, वे व्यक्ति जो ए.डी.ओ. के रूप में नियुक्त या पदोन्नत किए गए, यद्यपि उनके पास कृषि विषय में स्नातक उपाधि नहीं थी, उन्हें केवल इस आधार पर कि नियुक्ति या पदोन्नति के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं थी, एसआर. ए.डी.ओ. पद पर पदोन्नति हेतु अपात्र नहीं माना जा सकता। यह निर्विवादित है कि ऐसे सभी आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ., जो समय-समय पर नियुक्त किए गए, सेवा में बने हुए हैं। एक बार जब वे सेवा के सदस्य बन गए, तो उनकी आगे की पदोन्नति उच्चतर पद पर नियमों में निहित पदोन्नति संबंधी प्रावधानों द्वारा संचालित होगी। जब पदोन्नति के उद्देश्य से शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने संबंधी किसी विशिष्ट प्रावधान का अभाव हो, तो उस स्थिति में केवल वही पात्रता की शर्त लागू होगी जो नियम 14, भर्ती नियम, 1972 के अधीन निर्धारित है — अर्थात् अधीनस्थ पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) राज्य-पक्ष (उत्तरवादीगण) द्वारा प्रस्तुत जवाब में, तीनों प्रकरणों में एक विशिष्ट अभिमत व्यक्त किया गया है कि भर्ती नियम, 1972 के प्रवर्तन के पश्चात्, पर्याप्त संख्या में ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे जिनके पास स्नातक अर्हता थी, और इस कारण शासन द्वारा उक्त भर्ती नियमों में शिथिलीकरण किया गया। रिट याचिका (सेवा) क्र. 5301/07 में, राज्य शासन (उत्तरवादी) ने अपने जवाब के पैरा 5.11 में यह उल्लेख किया है कि —

> **"**5.11 याचिका के इस पैरा में किए गए कथनों के संबंध में यह उल्लेखित किया जाता है कि भर्ती नियम, 1972 के अनुसार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता कृषि विषय में स्नातक उपाधि निर्धारित थी। चूंकि कृषि विषय में स्नातक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तत्समय के **मध्यप्रदेश राज्य** में अन्य विषयों में स्नातक अभ्यर्थियों को भी कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।**"**.....

(22) रिट याचिका (सेवा) क्र. 1122/09 में, राज्य शासन (उत्तरवादी) ने अपने जवाब के पैरा **8 (सी)** में निम्नलिखित कथन किया है —

> "8 (सी). विनम्र निवेदन किया जाता है कि जब छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (अमंत्रालयिक) सेवा नियम, 1972 विरचित किये गए थे, उस अवधि में कृषि विषय **में स्नातक** अभ्यर्थियों की संख्या अत्यंत कम थी। अतः राज्य शासन ने भर्ती प्रक्रिया में शिथिलीकरण प्रदान किया और परिणामस्वरूप ऐसे अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जो केवल मैट्रिक या सामान्य स्नातक थे। यह भी निवेदन किया गया है कि जो व्यक्ति उस समय बी.एससी. के स्नातक नहीं थे, उन्हें कार्य की प्रकृति के अनुरूप व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।"

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1271/09 में, राज्य शासन ने **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5301/07** में प्रस्तुत जवाब को ही स्वीकार किया है। राज्य शासन द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि जिन व्यक्तियों के पास स्नातक उपाधि नहीं थी, परंतु वे मैट्रिक थे, उन्हें दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, और जो अभ्यर्थी स्नातक तो थे किन्तु कृषि विषय में नहीं, उन्हें छः माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) उपर्युक्त विशिष्ट कथनों का याचिकाकर्तागण द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है, अतः यह निर्विवाद स्थिति उभरकर सामने आती है कि चूंकि कृषि विषय में स्नातक अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए राज्य शासन द्वारा आर.ए.ई.ओ. और ए.डी.ओ. पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण किया गया। कृषि विभाग के कार्यभार को पूरा करने हेतु वर्षों तक बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ की गईं। इन परिस्थितियों में, ऐसे सभी आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ., जिन्होंने इन वर्षों में नियमित रूप से कार्य किया है और अपनी निरंतर सेवा के माध्यम से सेवा के सदस्य बन चुके हैं, उन्हें केवल इस आधार पर कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय या पदोन्नति के समय उनके पास सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं थी, पदोन्नति हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

(24) इन याचिकाओं में याचिकाकर्तागण द्वारा उन आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ. की नियुक्ति की वैधता अथवा वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है, जो समय-समय पर नियुक्त किए गए थे, यद्यपि उनमें से कुछ के पास कृषि विषय में अथवा अन्यथा स्नातक उपाधि नहीं थी। इसके अतिरिक्त अभिलेख में

ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि शासन ने इस आधार पर कि उक्त आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ. को न्यूनतम पात्रता मापदंड के बिना नियुक्त किया था तथा उनकी सेवाएँ समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की हो। दूसरी ओर, राज्य शासन ने स्पष्ट रूप से यह अभिमत प्रस्तुत किया है कि उक्त नियुक्तियाँ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण प्रदान कर की गई थीं, क्योंकि उस समय बी.एससी. (कृषि) अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, तथा नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ऐसे सभी आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ. को नियमित रूप से सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है तथा वे सेवा में नियमित पदधारक बन चुके हैं।

(25) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त अनेक निर्णयों पर अवलंबन लेते हुए यह तर्क किया है कि चूँकि ए.डी.ओ. एवं एसआर. ए.डी.ओ. पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कृषि शाखा में स्नातक तथा एम.एससी. कृषि क्रमशः निर्धारित की गई है, जैसा कि अनुसूची–**III** से परिलक्षित होता है, अतः वे आर.ए.ई.ओ. एवं ए.डी.ओ., जिनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हता नहीं है, उन्हें संबंधित पदों पर पदोन्नति हेतु विचारार्थ योग्य नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(26) सुभाष चंद्रा गुप्ता विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) प्रकरण में संदर्भित नियम में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया था कि कोई भी व्यक्ति सहायक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो। उस प्रकरण में यह निर्विवादित था कि सहायक का पद केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के रूप में स्नातक उपाधि हो। उस प्रकरण की वास्तविक पृष्ठभूमि में यह तथ्य स्वीकार किया गया था कि सहायक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, और प्रावधान द्वारा प्रदत्त शिथिलीकरण उस स्थिति में लागू नहीं था। इसलिए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्नातक उपाधि की योग्यता आवश्यक है, ताकि अभ्यर्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हो सके।

(27) कैला कुमार पालिवाल (पूर्वोक्त) प्रकरण में विचारार्थ यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या प्रयोगशाला सहायक अथवा शिक्षक श्रेणी–**III** के रूप में कार्य करने के दौरान प्राप्त अनुभव,

प्रधानाध्यापक के पद हेतु विज्ञापन में निर्दिष्ट शिक्षण अनुभव की आवश्यकता की पूर्ति करता है या नहीं। संबंधित नियमों तथा नियुक्ति नीति के आधार पर परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया कि प्रधानाध्यापक के पद हेतु विचारार्थ होने के लिए 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, जो कुछ विशिष्ट श्रेणियों अथवा पदों पर शिक्षण से सम्बद्ध है। ऐसे परीक्षण के उपरांत यह अभिनिर्धारण किया गया कि लोक सेवा आयोग की विशेषज्ञ राय को ध्यान में रखते हुए यह स्थापित किया गया कि माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए शिक्षक श्रेणी–**III** के पद पर कार्य करने की अर्हताएँ पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यह था कि, किसी व्यक्ति को उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु विचारार्थ होने के लिए आवश्यक अर्हता का धारक होना अनिवार्य है, और यदि वह ऐसी अर्हता नहीं रखता, तो उसे पदोन्नति हेतु विचारार्थ नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जब तक किसी चयन समिति को विधिवत रूप से अर्हता में शिथिलीकरण का अधिकार प्रदान न किया गया हो, तब तक वह समिति आवश्यक शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण करने का अधिकार नहीं रखती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी पद पर भर्ती पूर्णतः उन नियमों के अनुरूप होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में लागू हैं, तथा यह कि शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन या अधिसूचना जारी होने की तिथि तक या नियमों में निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई अर्हता को ही प्रासंगिक माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(28) व्ही. मार्कन्डय (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या स्नातक पर्यवेक्षकों और गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों के मध्य की गई श्रेणी-विभाजन उचित है या नहीं, अथवा क्या वह दोनों के लिए वेतनमान पृथक-पृथक निर्धारित करने में भारतर के संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 16 का उल्लंघन करती है । न्यायालय ने यह माना कि शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया गया वर्गीकरण, विशेषकर उच्च पद पर पदोन्नति के प्रकरणों में भेदभाव से संबंधित प्रश्नों में, एक वैध आधार है। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यही सिद्धांत भिन्न वेतनमान निर्धारित करने के प्रकरणों क्यों लागू न किया जा सके।

वर्तमान याचिकाओं में 1972 के भर्ती नियमों की वैधानिक योजना के संबंध में, विशेषतः पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों को, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इन याचिकाओं में उत्तरवादी-राज्य की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि चूँकि भर्ती नियमों में किसी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है, अतः जो व्यक्ति उस अर्हता के धारक नहीं हैं, वे अपने फीडर पद पर कार्य करते हुए भी पदोन्नति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं हो सकते।

(29) डी. के. जैन (पूर्वोक्त) प्रकरण में तथ्य यह था कि वे व्यक्ति जो सैन्य सेवा में कार्यरत थे, उन्हें बाद में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया, उनकी नियुक्ति के समय डिग्री धारण करने की योग्यता के संबंध में छूट प्रदान की गई थी — प्रारंभिक नियुक्ति के चरण में सहायक अभियंता के रूप में तथा बाद में सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति के समय भी। परंतु जब बात अगली उच्चतर पदोन्नति — अर्थात् पर्यवेक्षण अभियंता के पद की आई, तो नियम के अनुसार यह अपेक्षित था कि सेवा का कोई सदस्य, जिसके पास विश्वविद्यालय की डिग्री या नियमों के परिशिष्ट **"बी"** में निर्दिष्ट अन्य अर्हता नहीं है, तब तक उस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि वह आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त न कर ले। विवेचना हेतु जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, वह यह था कि क्या सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के समय दी गई छूट और तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता के रूप में पदोन्नति को आगे चलकर पर्यवेक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु भी लागू माना जा सकता है? न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि विधिक कल्पना को उसके मूल उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात्, जो पात्रता शिथिलीकरण केवल प्रारंभिक नियुक्ति या कार्यपालक अभियंता तक की पदोन्नति के लिए दी गई थी, उसे आगे पर्यवेक्षण अभियंता के पद तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। नियमों में निहित स्पष्ट उपबंध के अनुसार, जो व्यक्ति निर्धारित अर्हता का धारक नहीं है, वह अथवा उच्चतर पद के लिए पात्र नहीं होगा। अतः यह निर्णय पूर्णतः एक भिन्न तथ्यात्मक स्थिति और उस प्रकरण में लागू नियमों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(30) वर्तमान प्रकरण में लागू नियमों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो यह उपबंध करे कि यदि आर.ए.ई.ओ. स्नातक उपाधि का धारक नहीं है तो उसे ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा, अथवा यदि ए.डी.ओ. कृषि विषय में स्नातकोत्तर उपाधि का धारक नहीं है, तो उसे वरिष्ठ ए.डी.ओ. के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

डॉ. राजिन्द्र सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय पर अवलंबन लिया गया है, यह तर्क देते हुए कि भर्ती नियमों के अनुसार, आर.ए.ई.ओ. अथवा ए.डी.ओ. पद पर पदोन्नति के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आवश्यक हैं। यह प्रतिपादित किया जाता है कि नियमों में पदोन्नति के संबंध में ए.डी.ओ. तथा वरिष्ठ ए.डी.ओ. के पद हेतु ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है,

अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी-राज्य ने वैधानिक नियमों के स्थान पर किसी कार्यपालिका नीति के आधार पर पदोन्नतियाँ की हैं।

(31) उपरोक्त उद्धृत किसी भी निर्णय से यह प्रमाणित नहीं होता है कि जहाँ नियुक्ति सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों के माध्यम से की जाती है, वहाँ सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को ही पदोन्नति के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता माना जाएगा, अर्थात्, सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो फीडर पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति हेतु पात्र माने जाने के लिए उस शैक्षणिक अर्हता का धारक होना आवश्यक नहीं है, जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है।

(32) फलस्वरूप, उपर्युक्त याचिकाएँ बिना गुण दोष के पाई गईं तथा निरस्त की जाती हैं। इन याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश भी निरस्त माने जाएंगे। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक